न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 181/2022

राजबहादुर स्वामी, निवासी कुआ कोटाला, वार्ड नं0 4, ग्राम कोट, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333307, मो0न0 8003035851

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 181/2022 पर दिनांक 24.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2358—59 दिनांक 25.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/22/737 दिनांक 03.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी राजबहादुर स्वामी, निवासी कुआ कोटाला, वार्ड नं0 4, ग्राम कोट, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333307 का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 20.04.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/157 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने सूचना दिलाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/22/737 दिनांक 03.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी राजबहादुर स्वामी, निवासी कुआ कोटाला, वार्ड नं0 4, ग्राम कोट, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333307 का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 20.04.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/157 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभी तक उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 रोज मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं